

**RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD**
4, Institutional Area, Jhalana Doongri Jaipur-302 004
Phone: 5101871, 5101872 EPBAX : 5159600, 5159699 Fax: 5159694-97
www.rpcb.nic.in

आम सूचना

माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, सेंट्रल जॉनल बैंक, मोपाल, द्वारा ओरिजनल ऐप्लिकेशन संख्या 79/2015, कुलदीप भोषा बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान के प्रकरण में दिनांक 07.12.2015 को पारित आदेश की पालना में समस्त सरकारी एवं निजी अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लिनिक्स, डिस्पेंसरीज, वेटेनरी इन्स्टीट्यूट्स, एनिमल हाउस, पैथोलोजिकल लेबोरेट्रीज, ब्लड बैंक आदि जो बायो मेडिकल वेस्ट (मैनेजमेंट एण्ड हैंडलिंग) नियम, 1998 के प्रावधानों की पालना में राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल से बिना प्राधिकार पत्र प्राप्त किये कार्यरत हो तो वे इस जन सूचना के प्रकाशन से दो सप्ताह की अवधि में प्राधिकार पत्र प्राप्त करने हेतु राज्य मण्डल को आवेदन पत्र प्रस्तुत करेंगे।

अतः समस्त सरकारी एवं निजी अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लिनिक्स, डिस्पेंसरीज, वेटेनरी इन्स्टीट्यूट्स, एनिमल हाउस, पैथोलोजिकल लेबोरेट्रीज, ब्लड बैंक आदि को सूचित किया जाता है कि वे माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के उपरोक्त आदेश की अनुपालना में बायो मेडिकल वेस्ट (मैनेजमेंट एण्ड हैंडलिंग) नियम, 1998 के अन्तर्गत प्राधिकार पत्र, जल (प्रदूषण निवारण एवं नियन्त्रण), अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियन्त्रण), अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत सम्मति हेतु उक्त जन सूचना के प्रकाशन से दो सप्ताह की अवधि में आवेदन पत्र प्रस्तुत करेंगे। उपरोक्त आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर राज्य मण्डल द्वारा उपरोक्त नियमों, अधिनियमों की अवेहलता हेतु सभी दोषी इकाईयों के विरुद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986, जल (प्रदूषण निवारण एवं नियन्त्रण), अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियन्त्रण), अधिनियम, 1986 प्रावधानों के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। आवेदन करने हेतु किसी भी सहायता के लिये राज्य मण्डल की वेबसाइट www.rpcb.rajasthan.gov.in अथवा संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय से सम्पर्क किया जा सकता है।

राज.संघद/सी/15/4616

सदस्य-सचिव

दिनांक 11/1/2016